न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 39 / 2020 राजस्व वाद

अनवान

1– प्रेमचन्द पिता लक्ष्मण गुजर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा।
2– गीता बेवा लक्ष्मण गुजर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा।
3–4 शान्ति, सम्पत पिता लक्ष्मण गुजर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा।
5–7 नाथु, गोपाल, रामचन्द्र पिता हजारी गुजर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा।
8–10 शिवा, महावीर, पुखराज पिता महादेव गुजर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा।
11– कमला बेवा महादेव गुजर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा।
12– अलोली देवी पत्नी नाथु गुजर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा।
13– रूकमा देवी पत्नी गोपाल गुजर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा।
14– तुलसी देवी पत्नी रामचन्द्र गुजर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा।

– वादीगण

बनाम

1–8 देवकरण, भुरा, काना, रामलाल, हंजा, डाली, गीता, पारसी पिता लादु गुजर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा।
9– जेती पत्नी लादु गुजर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा।
10– नानु पिता उगमा गुजर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा।
11– महावीर पिता धासी गुजर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा।
12– कल्याण पिता हजारी गुजर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा।
13– भैरू पिता रामा गुजर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा।
14– मुला पिता श्रवण गुजर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा।
15– भागु पिता भैरू गुजर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा।
16– नाथु पिता हजारी गुजर निवासी जासोरिया तहसील बनेड़ा।
17– राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बनेड़ा।
18– बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा डाबला तहसील बनेड़ा।

– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– श्री कृष्ण कुमार जीनगर (अधिवक्ता वादी)

<u>निर्णय</u>

दिनांक 22.07.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाद वादीगण अन्तर्गत 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया है कि ग्राम जासोरिया पटवार क्षैत्र जासोरिया भू.अ.नि. क्षैत्र डाबला तहसील बनेड़ा की आराजी सं. 455 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नं. 462 रकबा 20 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नं. 463 रकबा 27 बीघा 06 बिस्वा, आराजी नं. 464 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 50 बीघा 05 बिस्वा भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 9 के नाम सामलाती राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण आराजियात में से वादीगण की आराजी नं. 462 रकबा 20 बीघा 11 बिस्वा में से 01 बीघा 10 बिस्वा आराजियात पर प्रतिवादी सं. 10 से 16 ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। अतः प्रतिवादी सं. 10 लगायत 16 को वादीगण की खातेदारी आराजी से बेदखल कर वादीगण को कब्जा सिपूर्द कराये जाने आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी गण सादर फरमायी जावें।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगणों को जारी सम्मन नोटिस बाद तामील लौटकर प्राप्त हुए जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी गण बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाकर पत्रावली को एक तरफा साक्ष्यवादी चरण नियत किया गया। वादीगण की शहादत में

वादीगण सं. 1, 5, 6, 7 द्वारा साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस प्रदर्श 5–8 अंकित किये गये। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, सूचना पत्र, मौका पर्चा, नजरी नक्शा पेश किये गये जिसे प्रदर्श 1–4 अंकित किये गये।

अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रकरण में बहस प्रस्तुत करना चाहने से एक पक्षीय बहस सुनी गई। तत्पश्चात बहस के दौरान वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण की सम्पूर्ण आराजियात में से आराजी नं. 462 रकबा 20 बीघा 11 बिस्वा में से 01 बीघा 10 बिस्वा आराजियात पर प्रतिवादी सं. 10 लगायत 16 ने अवैध कब्जा पाया गया है उस भु–भाग का वादीगण को कब्जा सिपूर्द किया जाना उचित समझते है।

::– आदेश –::

अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी सं. 10 लगा़यत 16 स्वीकार कर तहसीलदार बनेड़ा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी आराजियात ग्राम जासोरिया पटवार क्षेत्र जासोरिया भू.अ.नि. क्षैत्र डाबला तहसील बनेड़ा की आराजी सं. 462 भूमि को मौके पर पुख्ता सीमा चिन्हों से नपती की जावें। नपती के संबधं में पक्षकारान् को न्यूनतम 03 दिन पूर्व सूचित किया जावें। नपती उपरान्त यदि वादीगण के हक एवं हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी सं. 10 लगायत 16 का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण पाया जावे तो उक्त अतिक्रमित भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 10 लगायत 16 से वादीगण को सिपूर्द किया जावे तथा वादीगण के खातेदारी हक एवं हिस्से के भू–भाग पर प्रतिवादी बेजादखल्दाजी एवं हस्तक्षेप नहीं करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय / कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बनेड़ा–शाहपुरा सत्यमेव जयते

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला शाहपुरा